<u>झारखण्ड सरकार</u>
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

पत्र संख्या–वन भूमि–05/2020– 1724 व०प०, राँची, दिनांक– 20.06.2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002

विषय :– मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू–लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल–163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–231 दिनांक–20.03.2020, पत्रांक–507 दिनांक–31.03.2021, पत्रांक–667 दिनांक–08.06.2021 एवं पत्रांक–1108 दिनांक–07.09.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि विषयक परियोजना हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–231 दिनांक–20.03.2020 द्वारा पूर्व में 169.0098 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसे बाद में उनके पत्रांक–507 दिनांक–31.03.2021 द्वारा संशोधित करते हुए 163.5868 हे0 किया गया है।

विषयक प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(1) विषयक ट्रांसमिशन लाईन तीन वन प्रमंडलों क्रमशः लातेहार वन प्रमंडल, रामगढ़ वन प्रमंडल एवं राँची वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी।

(2) प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल–500.5433 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 163.5868 हे0 वनभूमि एवं 336.9565 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form-A Part-I में आवेदन online समर्पित किया गया है, जिसके संशोधित प्रति की Hard Copy संलग्न फोल्डर संख्या–I पर रक्षित है।

(4) संशोधित प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि की प्रमंडलवार रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	29.695	73.986	103.681	0.5
2	रामगढ़	4.2055	3.763	7.9685	0.9
3	राँची	36.9113	15.026	51.9373	0.8
कुल–		**70.8118**	**92.775**	**163.5868**	

(5) प्रस्ताव के साथ लातेहार, रामगढ़ वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि का Authenticated Land schedule संलग्न है। (रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)

रॉंची वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि (संशोधित) का Authenticated Land schedule संलग्न फोल्डर संख्या–I पर रक्षित है।

रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–डाडीडीह का Land schedule संलग्न फोल्डर संख्या–I में रक्षित है।

(6) Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार एवं रामगढ़ वन प्रमंडल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर एवं बोकारो की अनुशंसा संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)

संशोधित पार्ट–II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रॉंची का मंतव्य एवं संशोधित पार्ट–III में वन संरक्षक, रॉंची का मंतव्य/अनुशंसा संलग्न फोल्डर संख्या–I में रक्षित है।

(7) वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार ने अपने Part-II कंडिका–11 के 1(c) में 0.6192 हे0 वनभूमि FC Act, 1980 का उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि "Many towers have been found erected on notified and demarcated forest land as well GMJJ (deemed forest) land to be diverted. So this is a case of violation of provision of FC Act, 1980 therefore penal provisions shall be applicable as per Govt. of India guidelines." (संलग्न फोल्डर संख्या–I, लातेहार वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किए गए उक्त उल्लंघन के क्रम में भारतीय वन अधिनियम के तहत् वाद दर्ज किए जाने की सूचना पार्ट–II की कंडिका–11 में दी गई है।

(8) प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा अंकित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र moderately prone to erosion है। प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल द्वारा अंकित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र Prone to Soil erosion है। (संलग्न फोल्डर संख्या–I, रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)

(9) वन संरक्षक, रॉंची द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित क्षेत्र Prone to Soil erosion है, अतः Soil Conservation की आवश्यकता है। (रॉंची वन प्रमंडल से संबंधित फोल्डर)

(10) Part-IV में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड का मंतव्य संलग्न है (संलग्न फोल्डर संख्या–I)।

(11) 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

(12) मौजा मैप में प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(13) प्रस्तावित वनभूमि का Geo-referenced मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(14) तीनों वन प्रमंडलों में ट्रांसमिशन लाईन संरेखन में पड़ने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड के पत्रांक–507 दिनांक–31.03.2021 एवं पार्ट–II के अनुसार वनभूमि में वृक्षों की कुल संख्या–15354 प्रतिवेदित है। (संलग्न फोल्डर संख्या–I)

(15) प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

(16) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्तों/आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

लातेहार जिलान्तर्गत ग्राम–निन्द्र एवं बेलगढ़ा में अपयोजित होने वाले कुल जंगल–झाड़ का रकबा 8.156 हे0 के विरूद्व मात्र 2.744 हे0 के लिए ही उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–888 दिनांक–16.10.2019 द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्न फोल्डर संख्या–I)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र 2.744 हे0 को जंगल–झाड़ी के रूप में संशोधनोपरांत प्रस्तावित किया गया है।

शेष 5.412 हे0 जंगल–झाड़ी को संशोधनोपरांत प्रस्ताव में रैयती भूमि परती कदीम के रूप में सम्मिलित किया गया है।

इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में यदि 5.412 हे0 भूमि जंगल–झाड़ी आदि के रूप में पाई जाती है तो उसके लिए एफ0सी0 एक्ट के तहत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव अलग से समर्पित किया जाएगा (संलग्न फोल्डर संख्या–I)

(17) FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार, रामगढ़ एवं राँची द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की विवरणी प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड के पत्रांक–231 दिनांक–20.03.2020 की कंडिका–14 में द्रष्टव्य है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड के पत्र की कंडिका–14 में लातेहार जिलान्तर्गत निर्गत FRA का रकबा 103.681 दर्शाया गया है, जबकि लातेहार वन प्रमंडल संबंधित फोल्डर में उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र का रकबा 116.261 हे0 है। ग्रामसभा की कार्यवाही संलग्न है (वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)। राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित मौजा लोधमाना, ओंझासाड़म तथा हिरिंग के ग्राम सभा की कार्यवाही संलग्न फोल्डर संख्या–I में रक्षित है।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता समर्पित है। (वन प्रमंडल से संबंधित संलग्न फोल्डर)

(19) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में कुल–163.5868 हे0 अपयोजित होने वाली वनभूमि के दोगुणे 331.1936 हे0 के विरूद्ध कुल–339 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा (हे0)
1	लातेहार	रांकी कला	लातेहार/119	1160, 1166, 1168, 1170, 1173, 1177, 1181, 1194	50
		गड़गोमा	बालूमाथ/30	765, 748	50
		सिरम	बालूमाथ/232	91, 92, 96, 98, 99, 104, 109, 110, 111	53
		अलौदिया	बालूमाथ/272	27	57
2	रामगढ़	कनकी	माण्डू/47	1370	16
3	राँची	चूरी	बुढ़मू/16	1302	53
		होयर	बुढ़मू/17	262, 622, 633, 479	60
				कुल–	339 हे0

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML File वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–होयर के प्लॉट संख्या–479 का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र संलग्न फोल्डर संख्या–I पर रक्षित है।

(20) प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।

(21) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन में Eco-sensitive zone एवं rare/endangered/unique species की प्रमंडलवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	**Eco-Sensitive Zone की स्थिति, Yes/No**	**Eco-Sensitive Zone में अवस्थित मौजा का नाम**	जन्तुओं का नाम
1	लातेहार	Yes	Nawadih, Bariyatu Jagir, Durua, Bajkum, Rajhar, Tupukhurd, Godna, Parsahi and Jalta	Jackal, Hyaena, Mongoose, Snakes etc.
2	रामगढ़	No	-	Elephant, wild boar, fox, striped, hyena, reptiles, barking beer etc.
3	राँची	No	-	Indian Elephant, Sloth Boar, Spotted deer, Leopard, porcupine, pangolin, wild boar, Phython etc.

प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत 9 ग्राम पलामू व्याघ्र रिजर्व के Eco-sensitive zone में पड़ता है।

(22) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि "A specific Wildlife Management Plan needs to proposed at the cost of User Agency."

(23) प्रस्ताव के संबंध में CWLW, झारखण्ड के पत्रांक–865 दिनांक–02.06.2021 द्वारा प्राप्त मंतव्य संलग्न है, जो निम्नवत् है :–

(i) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में Project Cost पर Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ii) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom Conductor (Sag के साथ का Ground Clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

(iii) वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित Electrocution से बचाव के लिए ABC Cable (Insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

वर्णित स्थिति में विषयक 163.5868 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom Conductor (Sag के साथ का Ground Clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

(v) वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित Electrocution से बचाव के लिए ABC Cable (Insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

(vi) Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में Wildlife Management Plan तैयार कर इसका कार्यान्वयन परियोजना खर्च पर किया जायेगा।

(vii) प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन से प्रभावित क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर Soil Conservation Plan का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा।

(viii) विषयक प्रस्ताव में किए गए उल्लंघन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निदेश की कंडिका–1.21 के अनुरूप Penal Provision लागू होंगे।

(ix) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/6/2022

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–05/2020– 1724 व०प०, राँची, दिनांक– 20.06.2022

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/2022

उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–05/2020– 1724 व०प०, राँची, दिनांक– 20.06.2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक, पावरग्रिड, 360/A, ममता भवन रोड नं0–4B, अशोक नगर, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/2022

उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 163.5868 ha of Forest Land for construction of 400 KV D/C Patratu to Latehar Transmission Line under Laterhar/Ranchi/Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 163.5868 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-1724- dated-20-06-2022.

Signature: 16/6/2022

Name & Designation: Rajdeep Sanjay Lal John

Joint Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 507 राँची, दिनांक– 31.3.2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 1488 दिनांक 10.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि 400KV D/C पतरातु–लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल **169.0098** हे0, **(संशोधित 163.5868 हे0)** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर 10 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

इस परियोजना में तीन वन प्रमंडल क्रमशः लातेहार, रामगढ़, राँची शामिल है। राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1669 दिनांक 09.11.2020 द्वारा रामगढ़ वन प्रमंडल हेतु, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 2606 दिनांक 04.12.2020 द्वारा लातेहार वन प्रमंडल हेतु एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 630 दिनांक 09.03.2021 द्वारा राँची वन प्रमंडल हेतु तीनों पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/बोकारो/राँची के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण कंडिकावार निम्नवत् हैः–

क्र0	पृच्छाऐ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पार्ट–I में online कुल रकबा, तथा village wise रकबा का सुधार करते हुए पार्ट–I की Hard copy	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट–I में online कुल रकबा, तथा village wise रकबा को सुधार करते हुए पार्ट–I की Hard copy संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित पार्ट–I के कंडिका B-2.1 में प्रमंडलवार अपयोजित होने वाली वनभूमि का विस्तृत विवरणी निम्नवत् प्रतिवेदित की गई है। क्र0सं / वन प्रमंडल का नाम / अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकवा हे0 में 1. / रामगढ़ / 7.9685 2. / राँची / **51.9373** 3. / लातेहार / 103.681 कुल / **163.5868 हे0** **अनु0–01**
2.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को मिलान कर यदि आवश्यक हो, तो सुधार करते हुए प्रतिवेदन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची ने सूचित किया है कि राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को ऑन–लाईन पार्ट–I में सुधार कर संशोधित **51.9373 हे0 वनभूमि** का Land schedule की प्रति संलग्न है। **अनु0–02**

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\PTPS to Latehar 172.0795 ha..doc

138

3.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–दाड़ीडीह का Authenticated land schedule.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल का Authenticated l d schedule. की प्रति संलग्न है। **अनु0–03**
4.	रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा–कोतों के पूर्ण रकबा तथा मौजा–रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि का उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र	रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा–कोतों, रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, रामगढ़ के ज्ञापांक 1384 दिनांक 29.09.2020 द्वारा निर्गत है। **अनु0–04**
5.	विभागीय आदेश सं0 4715 दिनांक 27.11. 2018 तथा उपायुक्त, लातेहार द्वारा दिनांक 25.05.2019 तथा दिनांक 16.10.2019 को निर्गत प्रमाण पत्रों के आलोक में लातेहार जिलान्तर्गत अवस्थित जंगल–झाड़ भूमि प्रस्ताव का पार्ट होगा अथवा नहीं। यदि यह प्रस्ताव का पार्ट होगा तो पूर्ण जंगल–झाड़ भूमि का उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र और यदि यह प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन अपेक्षित होगा।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 630 दिनांक 09.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या 05 का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया हैः– 1. लातेहार जिला अंतर्गत ग्राम–निन्द्रा एवं बेलगड़ा में अपयोजित होने वाले कुल जंगल–झाड़ी का रकबा 8.156 हे0 के विरूद्ध मात्र 2.744 हे0 के लिए ही उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 888 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। **अनु0–05** 2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र 2.744 हे0 को जंगल–झाड़ी के रूप में संशोधनापरांत प्रस्तावित किया है। 3. शेष 5.412 हे0 जंगल–झाड़ी को संशोधनोपरांत प्रस्ताव में रैयती भूमि परती कदीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। 4. इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में यदि 5.412 हे0 भूमि जंगल–झाड़ी आदि के रूप में पाई जाती है तो उसके लिए एफ0सी0एक्ट के तहत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव अलग से समर्पित किया जाएगा। **अनु0–05 A**
6.	प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–होयर के प्लॉट सं0 479 चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–होयर के प्लॉट सं0 479 चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। **अनु0–06**
7.	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक (CWLW) का मंतव्य।	CWLW का मंतव्य अप्राप्त है। इस कार्यालय के पत्रांक 231 दिनांक 20.03.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अनुरोध किया जा रहा है, प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायगा।

3/3

<table>
<tr><td>8.</td><td>गणना सूची के अनुरूप पार्ट–II में अंकित वृक्षों की संख्या में सुधार।</td><td>गणना सूची के अनुरूप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा पार्ट–II में अंकित संशोधित वृक्षों की कुल संख्या प्रमंडलवार निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><td>क्र0सं0</td><td>वन प्रमंडल का नाम</td><td>वृक्षों की कुल सं0</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>लातेहार</td><td>4835</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रामगढ़</td><td>2586</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राँची</td><td>7933</td></tr>
<tr><td>कुल :–</td><td></td><td>15354</td></tr>
</table>
अनु0–07</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–लोथमाना, ओझासाड़म एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही।</td><td>राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–लोथमाना, ओझासाड़म एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अनु0–08</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची से नोडल पदाधिकारी के पत्र तथा पार्ट–II में उल्लिखित वृक्षों की संख्या को मिलान कर वृक्षों की संख्या में सुधार।</td><td>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/पलामू/बोकारो के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची एवं पार्ट–II में उल्लिखित वृक्षों की कुल संख्या 15354 है। अनु0–07</td></tr>
</table>

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/बोकारो/राँची से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन–तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु संशोधित कुल **163.5868 हे0** वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज–I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त् ।

विश्वासभाजन

31/3

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KR.
31.3.21

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF 400 KV, D/C PARTATU - LATEHAR TRANSMISSION LINE 163.5868_ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of revised 163.5868 ha of Forest land.

Date :- 31.03.2021
Place :- Ranchi.

Signature

31

(A.K. Rastogi)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 667 दिनांकः– 08/6/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मैसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक 507 दिनांक 31.03.2021

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के कंडिका 7 से संबंधित वांछित प्रतिवेदन एवं मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक 865 दिनांक 02.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है, जिसे प्रासंगिक पत्र के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 2328
10 JUN 2021
झारखण्ड, राँची।

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\Wildlife Related .docx

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।
वन भवन, डोरण्डा, राँची–834002
Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

143 492

पत्रांक 865 दिनांक 02/06/2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची।

विषयः– मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातु लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमण्डल–103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमण्डल 7.9685 हे० एवं रॉंची वन प्रमण्उल–51.9373) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 507 दिनांक 31.03.2021

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में अंकित सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत् है :–

1. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में Project Cost पर Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

2. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom Conductor (Sag के साथ) का ground clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

3. वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC Cable (Insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

4. Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco – friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा– निर्देशों के आलोक में Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

02/06

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रॉंची।

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 1108 राँची, दिनांक– 07.9.2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **इस कार्यालय के पत्रांक 507 दिनांक 31.03.2021 एवं पत्रांक 667 दिनांक 08.06.2021 एवं वन विभागीय पत्रांक 1451 दिनांक 09.06.2021 एवं वन विभागीय पत्रांक 2313 दिनांक 13.08.2021** पृ.–145/प. पृ.–140/प.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि 400KV D/C पतरातु–लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल **169.0098** हे0, **(संशोधित 163.5868 हे0)** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर 2 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण (पार्ट–III) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1051 दिनांक 22.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण कंडिकावार निम्नवत् है:–

क्र0	पृच्छाऐ	निराकरण
1.	**CWLW का मंतव्य ।**	CWLW का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 667 दिनांक 08.06.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित है। पुनः छायाप्रति संलग्न
2	राँची वन प्रमंडल से संबंधित संशोधित पार्ट–III की हस्ताक्षरित Hard copy विभाग को उपलब्ध कराया जाय।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1051 दिनांक 22.06.2021 द्वारा प्राप्त राँची वन प्रमंडल से संबंधित वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित पार्ट–III Hard copy की प्रति प्राप्त हुई है। जो संलग्न है।

इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित Format Form-A Part-I एवं Part-II में क्रमशः संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़/राँची/लातेहार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर Website अपरोड कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से प्राप्त संशोधित पार्ट–III की Hard copy की तीन प्रतियां एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपरोड किया हुआ पार्ट–I एवं पार्ट–II की तीन–तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु संशोधित कुल **163.5868 हे0** वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज–I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\PTPS to Latehar 172.0795 ha..doc